कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/94/2025

श्री बल्देव सिंह निवासी ग्राम नूरपुर पोस्ट घुस्यारी तहसील एवं जिला भरतपुर
मो. नं. 6005183425

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 08.01.2026**

अपीलार्थी श्री बल्देव सिंह निवासी ग्राम नूरपुर पोस्ट घुस्यारी तहसील एवं जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील संख्या 060517582273569 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/1054 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर का जबाब पत्रांक एलआर/2026/72 दिनांक 05.01.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक एलआर/2026/72 दिनांक 05.01.2026 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना में उठाये गये बिन्दु प्रश्नात्मक हैं जिनका जबाब कार्यालय के

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 44 / 2025
बल्देव सिंह बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार भरतपुर

पत्रांक एलआर / 2025 / 8409 दिनांक 08.12.2025 से नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया गया है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं काल्पनिक हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं0 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि''.....लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करने या सूचना की व्याख्या करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करने या काल्पनिक प्रविष्टियों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।........''

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर